Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding Fundamental Rights of orphans.

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस देश के सबसे कम प्रभावशाली और अधिकारों से जो वंचित रहे हैं, ऐसे वर्ग अथवा ऐसे बच्चों की ओर, जिन्हें अंग्रेजी में ऑरफंस कहा जाता है, उनकी संख्या हमारे देश में अनुमानित लगभग दो करोड़ है। ऐसे निराश्रित बच्चे या तो छोड़ दिए गए हैं या जिनके माता-पिता नहीं हैं। जिनकी आबादी अनुमानित है कि हमारे देश में जितनी है, वह श्रीलंका की आबादी से भी अधिक है। वैसे तो हम यहां सदन में कई बार आरक्षण को ले कर चर्चा कर चुके हैं। मेरा यह मानना है और मुझे लगता है कि पूरे सदन का भी यह मानना होगा कि सबसे पहला अधिकार यदि आरक्षण में किसी वर्ग का होना चाहिए तो वह इन ऑर्फंस का होता है। लेकिन इनको आरक्षण का अधिकार तो कहां मिला, समानता का भी अधिकार नहीं मिल पाया है। इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट पुलोमी पावनी जी हैं, उन्होंने एक पीआइएल फाइल की है कि इन बच्चों को, जिन्हें न तो शिक्षा मिल रही है, न तो रोज़गार मिल रहा है, न ही आरक्षण प्राप्त हो रहा है, इनको राइट टू लाइफ, इक्वॉलिटी एण्ड एजुकेशन मिले। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सर्वप्रथम एक आधिकारिक सर्वेक्षण किया जाए और यह देखा जाए कि ऐसे कितने बच्चे हमारे देश में हैं, जिन्हें संरक्षण तथा केयर एण्ड प्रोटैक्शन की आवश्यकता है। साथ ही साथ मेरी दूसरी मांग यह है कि इसी सदन में एक कानून ला कर ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने का कानून पारित करें।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं

श्री शरद त्रिपाठी को श्री राघव लखनपालद्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।